



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बापिणी, जिला-फलौदी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

कैम्प कोर्ट का स्थान : फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर-2025, बापिणी।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी ईशरू व भूअ.नि. बापिणी रिपोर्ट तथा तहसीलदार बापिणी/नायब तहसीलदार बापिणी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जांगुनगर, करणीनगर व ईशरू तहसील बापिणी व जिला फलौदी की जमाबन्दी सम्वत् 2075 -78 में खाता संख्या- 51, 10, 11 व 459 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर अमल दरामद आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जांगुनगर करणीनगर ईशरू	51 10, 11 459	जगमलराम	जगाराम

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

01. तहसीलदार बापिणी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र करावें।
02. पटवारी हल्का ईशरू।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

RajKaj Ref No.:
19581911

